पत्र संख्या–8/पी.3–10–07/2017 गृ0आ0

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

गिरीश मोहन ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

वित्त विभाग से अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पटना, दिनांक 2018

विषयः– **पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय में वित्तीय संसाधनों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वरीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के एक पद के सृजन की स्वीकृति।**

महाशय,

वित्तीय मामलों के शीघ्र एवं वित्तीय नियमों के आलोक में निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों में विभिन्न वित्तीय एवं आय–व्यय नियमावली के अधीन प्रायोजित शक्तियों का निष्पादन एवं हरेक वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय के लिये वृहद बजट प्रावधान है, जो चालू वित्तीय वर्ष में 58,46,00,00,000/– के लगभग है। पुलिस मुख्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रति वर्ष पुलिस के आधुनिकीकरण, भवनों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के हथियारों, उपकरणों, गाड़ियों इत्यादि के ख़रीद में काफी बड़ी राशि व्यय की जाती है। इसके अतिरिक्त वेतन/पेंशन मद में भी बड़ी राशि का व्यय होता है।

पुलिस मुख्यालय के कार्य की प्रकृति एवं बजट की बड़ी राशि को देखते हुए पुलिस महानिदेशक, बिहार के कार्यालय में वित्तीय संसाधनों के प्रभावी नियंत्रण हेतु स्वतंत्र रूप से एक वरीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के एक पद वेतनमान–14300–18300, ग्रेड पे–8700 (अपुनरीक्षित), वेतन स्तर–13 में सृजन का किया जाता है। उक्त पद बिहार वित्त सेवा/बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा। बिहार वित्त सेवा/बिहार लेखा सेवा के उक्त ग्रेड वेतन (अपुनरीक्षित) के पदाधिकारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इस पद को ग्रेड वेतन 6600 एवं उससे ऊपर के ग्रेड वेतन के बिहार वित्त सेवा/बिहार लेखा सेवा/भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा/भारतीय रेल लेखा सेवा/भारतीय रक्षा लेखा सेवा/भारतीय डाक लेखा सेवा/भारतीय सिविल लेखा सेवा के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा।

उपर्युक्त पद के सृजन पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 17,83,020/– (सत्रह लाख तिरासी हजार बीस) रूपये मात्र होगा।

उपर्युक्त राशि की निकासी मांग संख्या– 22, मुख्य शीर्ष–2055, उप मुख्य शीर्ष,–00, लघुशीर्ष– 001 उपशीर्ष– 0001, विपत्र कोड– N 2055000010001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा। पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(गिरीश मोहन ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–8/पी.3–10–07/2017 गृ0आ0/ पटना,दिनांक

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–8/पी.3–10–07/2017 गृ0आ0/ पटना,दिनांक

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार, बिहार, पटना/प्रभारी पदा0 वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार/सभी समादेष्टा बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–8/पी.3–10–07/2017 गृ0आ0/ 4916 पटना,दिनांक 5/10/18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.06.18
सरकार के अवर सचिव

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
ज्ञापांक 357/374568 /एल–2,
52–05–04–2017 पटना, दिनांक 13.6.18

प्रतिलिपिः–

1. सभी पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी समादेष्टा, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।
7. आई0टी0 प्रबंधक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0)
बिहार, पटना।